भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *274

(जिसका उत्तर 05 जनवरी, 2018/15 पौष, 1939 (शक) को दिया जाना है)

अ.जा./अ.ज.जा. को क्रेडिट/ऋण सुविधाएं

274. श्री रत्न लाल कटारियाः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कोई क्रेडिट/ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अजा/अजजा के लाभार्थियों के चयन के लिए सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अजा/अजजा समुदाय को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा उक्त योजनाओं के अंतर्गत कुल निर्धारित/वितरित राशि बैंक-वार कितनी है;

(घ) अजा/अजजा को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सुगम क्रेडिट सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान सरकार की समावेशी नीतियों के परिणामस्वरूप कितने परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'अ.जा./अ.ज.जा. को क्रेडिट/ऋण सुविधाएं' के संबंध में श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा पूछे गए 05 जनवरी, 2018 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *274 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ड.): प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा 20 या इससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर (ओबीई) के समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, का 40% का अधिदेश दिया गया है। इसके अंतर्गत कमजोर वर्गों जिनमें, अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ, अनुसूचित जाति(अजा)/अनुसूचित जनजाति(अजजा) वर्ग के व्यक्ति शामिल हैं, को उधार देने के लिए पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार एएनबीसी या ओबीई के समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, के 10% का उप-लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अजा तथा अजजा के कल्याण पर विशेष जोर देने तथा अजा/अजजा को दिए जाने वाले बैंक ऋण में तेजी लाने के लिए कदम उठाने हेतु आरबीआई ने 'मास्टर परिपत्र - अनुसचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को ऋण सुविधा' के रूप में बैंकों को स्थायी अनुदेश जारी किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

- ब्लॉक स्तर पर योजना प्रक्रिया में अजा/अजजा को कुछेक महत्व दिया जाना है।
- ऋण योजना को अजा/अजजा के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। इन समुदायों के ऋण प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक एवं शीघ्र विचार किया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा प्रायोजित गरीबी उन्मूलन योजनाओं/स्व-रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत अजा/अजजा के उधारकर्ताओं से प्राप्त ऋण आवेदनों पर विचार करते समय बैंकों को जमानत राशि पर जोर नहीं देना चाहिए।
- यदि अजा/अजजा से संबंधित आवेदनों को अस्वीकृत किया जाता है तो इसे शाखा स्तर पर न करके उच्चतर स्तर पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आवेदनों को अस्वीकृत किए जाने के कारणों को साफ-साफ दर्शाया जाना चाहिए।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित कई ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है और सरकारी एजेंसियों के जरिए सब्सिडी प्राप्त होती है। इन योजनाओं के अंतर्गत ऋण के प्रवाह की निगरानी आरबीआई द्वारा की जाती है। इन सभी योजना में अजा/अजजा समुदायों के सदस्यों को पर्याप्त आरक्षण/छूट दी गई है।

इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) - भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत यह निर्धारित किया है कि इस योजना के अंतर्गत 50% लाभार्थी अजा/अजजा होंगे।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) - भारत सरकार ने आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अंतर्गत यह निर्धारित किया है कि अजा/अजजा को अग्रिम स्थानीय जनसंख्या में उनकी संख्या की सीमा तक दिया जाएगा।

विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना - डीआरआई योजना के अंतर्गत बैंक समुदाय के कमजोर वर्गों को उत्पादक तथा लाभप्रद कार्यकलापों में लगाने के लिए 4% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर 15,000 रुपए तक की धनराशि उपलब्ध कराते हैं। बैंकों को कुल डीआरआई अग्रिम का कम से कम 2/5वां भाग (40 प्रतिशत) अजा/अजजा के पात्र उधारकर्ताओं को प्रदान करने की सलाह दी गई है। योजना के आय मानदण्ड को पूरा करने वाले अजा/अजजा के सदस्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध 15,000 रुपए के वैयक्तिक ऋण के अलावा 20,000 रुपए प्रति लाभार्थी आवास ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएससीएफडीसी), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) भी अजा और अजजा को रियायती ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। एनएससीएफडीसी देश की कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या के संदर्भ में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में राज्य चेनेलाइजिंग एजेंसी (एससीए) को अपने उपलब्ध संसाधनों का अनुमानित आवंटन करता है।

सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में भी अजा/अजजा उद्यमियों को ऋण देने की सुविधा उपलब्ध है:

- **स्टैंड अप इंडिया स्कीम:** सरकार ने इस योजना का शुभारंभ महिलाओं, अजा तथा अजजा श्रेणी के उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अप्रैल, 2016 में किया था। इस योजना में ग्रीनफिल्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उधारकर्त्ता तथा कम से कम एक महिला उधारकर्त्ता को 10 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा दी जाती है। 31.12.2017 तक 6589 अजा और 1988 अजजा लाभार्थियों का वित्तपोषण किया गया है।
- **अनुसूचित जाति ऋण संवर्धन गारंटी योजना:** अनुसूचित जाति के उद्यमियों को बढ़ावा देने, अजा उद्यमियों को आर्थिक विकास की सुविधा प्रदान करने और भारत में अजा वर्ग के व्यक्तियों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार में वृद्धि करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति के युवा और स्टार्ट अप उद्यमियों के लिए ऋण सुविधा के रूप में 200 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है।

- **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) -** समाज के गैर-वित्तपोषित वर्ग को वित्तपोषित करने तथा उन्हें बैंकों, एनबीएफसी के जरिए औपचारिक ऋण प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ 08 अप्रैल, 2015 को किया गया था। पीएमएमवाई में शिशु श्रेणी के अंतर्गत 50,000 रुपए तक के सूक्ष्म उद्यम ऋण, किशोर श्रेणी के अंतर्गत 50,001 से 5 लाख रुपए तक के ऋण तथा तरुण श्रेणी के अंतर्गत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के ऋण पर जोर दिया जाता है। पीएमएमवाई के अंतर्गत दिनांक 30.09.2017 तक 61,37,017 अजा तथा अजजा लाभार्थियों को कवर किया गया है, जिसके लिए 18,962 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं।

गत तीन वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अजा/अजजा समुदायों को संवितरित बैंक-वार कुल ऋण राशि को **अनुबंध-I** में दर्शाया गया है।

अजा/अजजा के गरीबी अनुपात आंकड़े को नीचे दर्शाया गया है:

सामाजिक समूह	ग्रामीण		शहरी	
	2004-05	**2011-12**	**2004-05**	**2011-12**
अजा	53.53	31.50	40.56	21.70
अजजा	62.28	45.30	35.52	24.10
कुल	41.79	25.40	25.68	13.70

स्रोत: नीति आयोग

उपर्युक्त आंकड़े गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अजा/अजजा की संख्या में कमी को दर्शाते हैं।

*****

अनुबंध-I

पिछले तीन वर्ष के दौरान अजा/अजजा समुदायों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संवितरित कुल ऋण राशि

(खातों की वास्तविक संख्या; राशि हजार रुपए में)

बैंक का नाम	2015		2016		2017	
	खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	70282	10739741	178257	24983168	157669	23909608.47
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	12997	1776037	18932	3024073	31467	4331052.16
भारतीय स्टेट बैंक	66207	96509579	581510	19506747	698684	41616042.44
स्टेट बैंक आफ मैसूर	5898	1233219	5319	845052	6107	1659891.76
स्टेट बैंक आफ पटियाला	41755	2329108	18842	1704166	24808	3207795
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	232459	23805165	102749	19860114	192197	30255092
एसबीआई और इसके अनुषंगी	**429598**	**136392849**	**905609**	**69923320**	**1110932**	**104979481.8**
इलाहाबाद बैंक	41832	4493018	117205	13642508	135238	17050493.23
आन्ध्रा बैंक	278053	35132127	148862	15890441	143778	13698220.69
बैंक आफ बड़ौदा	80646	14083686	91815	15664587	137615	17949778.05
बैंक आफ इंडिया	194657	18917156	194573	19227563	178256	21387.18
बैंक आफ महाराष्ट्र	15001	4762773	59193	8101603	58781	8209445.62
भारतीय महिला बैंक लि.	0	0	340	30820	0	0
केनरा बैंक	347238	33301738	530659	53746645	294658	35021130.93
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	365028	70857829	205045	25100768	209156	24313020
कार्पोरेशन बैंक	36117	5702303	17021	2405705	42708	12869173
देना बैंक	26131	4621881	33989	6765847	26241	5692019.62
आईडीबीआई बैंक लि.	6548	1935038	63046	5453642	102444	7731799.23
इंडियन बैंक	120430	10411438	10152	705292	124117	10948263
इण्डियन ओवरसीज बैंक	147289	49903858	114804	44677121	244704	56487927
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	66214	36325856	61749	14836523	50807	42684684.54
पंजाब एंड सिंध बैंक	5888	861795	3553	675460	1969	624211.91
पंजाब नैशनल बैंक	236491	29719517	233722	32038259	178977	32363779.29
सिंडिकेट बैंक	146026	14615040	137463	16153528	134662	67412763.28
यूको बैंक	43777	5485022	43949	5547265	41631	5122529
यूनियन बैंक आफ इंडिया	81476	25240671	114992	11365774	100457	12368907.57
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	58622	5351473	52791	11387438	51447	6873455.33
विजया बैंक	29916	8880375	38045	6548847	64099	12431115.62
राष्ट्रीयकृत बैंक	**2327380**	**380602594**	**2272968**	**309965636**	**2321745**	**389874104.1**
सकल योग	**2756978**	**516995443**	**3178577**	**379888956**	**3432677**	**494853585.9**

स्रोत: आरबीआई